

6/7/17. पत्रावली भाग राजस्थान हाईकोर्ट अदालत
 केम्प-वेनी घर पुरान की मर्जी।
 पक्षवापु अर्जित करी उक्त इतिहास
 की मूल पत्रावली R.B. में विचारार्थ
 देने से पाठना करी लो वकील
 पत्रावली डि० 28/8/17 को पेश हो।

डिग्री

कि कलेक्टर ला-वेर
 ची डिग्रीदार इसके द्वारा

का संख्याक

इकाओं का नाम

डिग्री की तारीख

क्या डिग्री क
 की गई है
 यदि हाँ तो
 दि

5

28/8/17

पत्रावली आज पेश हुई
 पी.ओ. साहब के घर पधार है
 अब पत्रावली डि० 6/11/17 को पेश की जावे

16/10/17

पत्रावली पेश हुई, वकील अर्जित
 मूल पत्रावली के निर्णय के विषय
 मपील R.B. में विचारार्थ देने
 से पाठना करी से ना वकील
 पत्रावली डि० 16/10/17 को पेश हो।

पत्रावली आज पेश हुई
 पी.ओ. साहब के घर पधार है
 अब पत्रावली डि० 23/10/17 को पेश की जावे

23/10/17

पत्रावली पेश हुई वकील डिग्री दार उय. प्रकरण
 में माननीय न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान
 हाइकोर्ट में मूल वाद में अपील विचारार्थ होने तक
 इस डिग्री की पालना नहीं हो सकती है। सम्बन्धित
 न्यायालय से निर्णय होने के पश्चात ही डिग्री
 पालना अवैध न प्रस्तुत किया जाकर पालना
 किया जाना अच्युत होगा। इस पत्रावली
 से अंत कोई कार्य जारी शेष नहीं होने से।
 पत्रावली पेश लक्ष्मण की जाक (नम्बर 1) से
 कम हो।